

पेरिस की संधि [Treaty of Versailles]

3rd Kind Form:-

MA [SEM 2]- Abhinav Sood  
History, B.B. College  
Aga-

- 1st world war के पश्चात जर्मनी के साथ की गई संधि।
- मित्र राष्ट्रों द्वारा पेरिस शान्ति सम्मेलन में की गई अन्य संधियां- Austria - सैन जर्मनी की संधि
- Bulgaria - बुर्गंडी की संधि, Hungary - तिम्बोनी संधि, Turkey - सेबरे की संधि। लेकिन इन सबसे संधि सबसे महत्वपूर्ण।
- सीडमैन Gov. द्वारा इस संधि को स्वीकार न करने के बावजूद सरकार गुस्ताव बायर (प्रधानमंत्री) द्वारा स्वीकार।


पेरिस संधि के प्रावधान-

→ ① प्रादेशिक व्यवस्था -

- रुसस-लॉरेन प्रदेश जर्मनी से फ्रांस को दे दिया गया।
- राइनलैण्ड - इस क्षेत्र को फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से मित्र राष्ट्रों के सैन्य को 15 वर्षों के लिए दे दी गई तथा आस-पास के क्षेत्रों का नियंत्रण कर दिया गया।
- क्षार क्षेत्र :- जर्मनी का कौचला वुल्फ क्षेत्र इसकी निर्भरता राक्ससंध के सौंप दी गई। तथा कौचले के खानों की निर्भरता फ्रांस को दी गई।
- Upper Silesia तथा Mulsheim प्रदेश बेल्जियम तथा स्वीडिश डेनमार्क को प्राप्त।

→ जर्मनी की पूर्वी सीमा सर्वाधिक प्रभावित। स्वतंत्र Danish का निर्माण।

↳ Danish को स्वतंत्र नगर के रूप में विकसित किया तथा राक्ससंध के संस्था में। तथा Danish द्वारा विष का उपयोग करने के लिए Danish कक्षाएं का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त।



- मैत्री बंधाह जर्मनी से निबुआगिया को प्राप्त।
- जर्मनी द्वारा वैकोस्लेवागिया अवल को मान्यता दिया गया, जिससे जर्मनी को प्रादेशिक नैफल में हामी डी।

→ जर्मनी उपनिवेश संबंधि उपस्था।  
 विसन के विरुध/द्वारा के कारण संरक्षण - प्रणाली (Pander system) develop किया।  
 जर्मन उपनिवेश मित्र राष्ट्र के संरक्षण में गया।  
 (Germany - Pacific Ocean Region and African States)

- (2) सैनिक उपस्था :-
- ↳ जर्मन सेना की अधिकतम संख्या निर्धारित ~~100000~~ एक लाख।
  - ↳ सार्वभौम सैनिक सेवा प्रतिबंधित।
  - ↳ हवाई जहाज प्रतिबंधित।
  - ↳ नौसैनिक सेना सीमित। 6 पोत हर्बन की स्थापना।
  - ↳ विदेशास्तिकरण की शक्ति को सुचारु रूप से मानने से संबंधित शक्ति को निजुगनी है जर्मन हर्बन पर मित्र राष्ट्र की सेना वहाँ हर्बन की स्थापना।

- (3) आर्थिक उपस्था :-
- वसति शक्ति की 231 वीं द्वारा के तहत जर्मनी / सहयोगी देशों पर निर्यात बंदी लगी गई। जर्मनी द्वारा हतिपूर्ति करने की उपस्था। जर्मन 10 मित्र राष्ट्र 5 अरब डॉलर।
- ↳ नील नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सभी देशों के जहाजों द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा।

(4) नैतिक उपस्था :-

मिक्स की 231 वीं द्वारा के अनुसार सारी हति तथा युद्ध के लिए जर्मनी को अरहायी दह्राया गया।

(5) राज्यनैतिक उपस्था :-

राज्यसंघ की स्थापना - इस संधि का मुख्य उद्देश्य था।

## Topic:- वसयि की संधि का प्रभाव / द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अग्रदानी

MA HINDU History, Apn  
Abhinav Yadav, S.B. College

विश्व इतिहास के जिन संधियों तथा प्रभावों की सर्वाधिक चर्चा हुई है, उनमें वसयि की संधि का निश्चित स्थान है। इस संधि के कठोर प्रावधानों तथा उसके स्वरूप के संदर्भ में अलग-अलग ने इस द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार वसयि की संधि शान्ति की व्यवस्था न होकर असंतोष की जनक थी। संधि के ठीक 20 वर्ष 2 माह तथा 4 दिन पश्चात द्वितीय विश्वयुद्ध के चरित्र में आ गया।

→ संधि होने के बाद से ही अन्की व्यवस्थाओं का जर्मनी द्वारा भंग किया जाता रहा तथा साथ ही साथ संधि के प्रावधानों में कात्तार बदलाव भी किया जाता रहा। इन इलंधन तथा परिचरन ने विश्व को द्वितीय विश्वयुद्ध की ओर धकेल दिया।

कई भी स्वामिदानी युद्ध इस अपमानजनक संधि के शर्तों को बहुत दिन तक नहीं मान सकती।

जर्मनी के एणकर - "जर्मनी जाति कवर संहति नैकिन मरेगी नहीं।"

Woodrow Wilson - "इस संधि शान्ति संधि नहीं है, केवल 20 वर्षों का युद्ध विराम है।"

→ 1926 में जर्मनी का राकसंध की सक्षमता, तब संधि का प्रथम भंग संश्लिषित। युद्ध - अग्रदानी संकेधी नवी भाग कभी किया नहि नहीं किया गया।

इतिरुति संकेधी प्रावधान को पहली संश्लिषित किया गया बाद में लीजान सम्मेलन (1932) में इतिरुति संकेधी प्रथम ही स्थाप कर दिया गया।

→ 1933-34 में जर्मन राजनीति में हिलर का  
उभय तवा संधि के शर्तों का भ्रम मोड़ना आम-  
- बात हो गई।

↳ 1935/36 में हिलर द्वारा निःशस्त्रीकरण संबंधित  
शर्तों का उलंघन कर एक विशाल सेना का नवनिर्माण

↳ 1936 में राइनलैंड पर अधिकार।

↳ 1938 में आस्ट्रिया तथा 1938 में चेकोस्लो-  
-वाकिया को मिलाकर प्रादेशिक व्यवस्था से  
संबंधित शर्तों को भी तोड़ दिया।

↳ Poland तथा Danzig विषय संबंधित बात पर  
Mend warld-warld का प्राण।

— इस प्रकार इसमें कोई  
संदेह नहीं है कि संधि की मन्त्रायणपूर्व कटौत  
तवा अपमानजनक संधि, एक सीमा तक  
Mend warld-warld के लिए उत्प्रेरणा की,  
किंतु यह भी सत्य है कि मित्त शक्तों की  
परस्पर विरोधी नीति - अकेला, उदासीनता,  
तुपरीकरण तथा संधि की शर्तों को कटौत -  
-पूर्वक लागू न करवाने की नीति भी इसके  
लिए कम उत्प्रेरणा नहीं की।